भारत गणतंत्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
तथा
मॉरीशस गणतंत्र के समाज सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता तथा
वरिष्ठ नागरिक कल्याण और सुधार संस्थान मंत्रालय के
मध्य

समाज सुरक्षा के सामान्य क्षेत्र में वृद्धजनों के कल्याण, औषधि मांग में कमी के कार्यक्रम, विकलांगता तथा अन्य क्षेत्रों सहित सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

पृष्ठभूमि

ज़बकि समाज सुरक्षा के सामान्य क्षेत्र में वृद्धजनों के कल्याण, औषध मांग में कमी के कार्यक्रम, निराश्रित बच्चों के कल्याण, समुदाय विकास और अन्य क्षेत्रों सहित सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सहयोग के बारे में तत्कालीन विदेश मंत्री, भारत सरकार, श्री यशवंत सिन्हा तथा मॉरीशस गणतंत्र सरकार के तत्कालीन सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण तथा सुधार संस्थान मंत्री श्री समीउल्ला लौथान द्वारा 1 जुलाई, 2003, को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

जबकि दोनों देश समाज कल्याण और समाज सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों, वृद्धजनों, कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, दुर्व्यवहार से पीड़ित व्यक्तियों और समुदाय विकास सहित समाज के कमजोर वर्गों के समग्र विकास तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करने के क्षेत्रों में सहयोग और समर्थन की दिशा में नई जान फूँकने के इच्छुक हैं;

मीरा कुमार

जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वृद्धजनों के कल्याण और दुर्व्यवहार की रोकथाम सहित समाज रक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों के लिए नोडल मंत्रालय है और राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान एक स्वायत्तशासी तकनीकी सलाहकार निकाय तथा समाज रक्षा के क्षेत्र में शीर्ष प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है जिसमें वृद्धजनों का कल्याण, दुर्व्यवहार की रोकथाम तथा व्यापक समाज रक्षा परिप्रेक्ष्य में बच्चों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं और यह मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन तथा समाज रक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्यों और नेटवर्किंग के आदान-प्रदान के लिए केन्द्रीय निकाय है ।

जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए नोडल मंत्रालय है तथा 7 राष्ट्रीय संस्थान नामतः (क) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद -(ख) राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई (ग) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून (घ) शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली (ङ) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक (च) राष्ट्रीय बहु-विकलांगता संस्थान, चेन्नई तथा (छ) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान प्रलेखन तथा समाज रक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्यों और नेटवर्किंग के आदान-प्रदान के लिए केन्द्रीय स्थल हैं;

और जबकि समझौता ज्ञापन में परिभाषित समाज रक्षा के क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में मांग में कमी के कार्यक्रम, कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों और विकलांगता तथा वृद्धजनों के कल्याण के बारे में प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान तथा

पी.ए. कुमार

कतिपय अन्य क्षेत्र शामिल होंगे जो समाज रक्षा और विकलांगता के सामान्य क्षेत्र में सरकार की नीति और कार्यक्रम को प्रतिबिम्बित करेंगे;

दोनों सरकारें समाज रक्षा और विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग को जारी रखने की आवश्यकता को समझती हैं और निम्नानुसार सहयोग करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती हैं :-

सहयोग के क्षेत्र

दोनों सरकारें निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हैं :-

1. समाज रक्षा में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित और व्यवस्थित करना;

2. (क) नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, परामर्श, प्रेरणा और नशे की लत से मुक्ति, पुनर्वास, नशे की लत की पुनरावृत्ति की रोकथाम और देखभाल के न्यूनतम मानदंडों पर विशिष्टीकृत कौशल-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ।

   (ख) बच्चों, भिखारी बच्चों, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, एचआईवी और एड्स से प्रभावित बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की देखभाल और संरक्षण तथा सामुदायिक विकास में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।

(ग) वृद्धावस्था देखभाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना यथा जराचिकित्सा देखभाल में प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जरावस्था प्रबंधन, जरावस्था देखभाल के मूलभूत मुद्दों में विशिष्टीकृत कौशल निर्माण कार्यक्रम ।

(घ) मानव संसाधन विकास जैसे समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, गृह-आधारित शिक्षा, विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल सेवाओं में अध्यापकों और देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ।

3. (क) हर प्रकार की विकलांगता के निवारण, पहचान, पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सहायक उपकरणों की फिटिंग और उत्पादन में मॉरीशस के शिक्षाविदों, देखभाल करने वालों और सेवा प्रदात्ताओं के प्रशिक्षण और संबधता के लिए फैलोशिप प्रदान करना और

(ख) वृद्धावस्था, बाल देखभाल और संरक्षण तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में मॉरीशस के शिक्षाविदों, देखभाल करने वालों और सेवा प्रदाताओं की संबद्धता हेतु फैलोशिप सहायता प्रदान करना ।

4. वृद्धजन कल्याण, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की देखभाल और संरक्षण तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग की

ओए कुमार

रोकथाम सहित विकलांगता ओर समाज रक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल और मैन्युअल तैयार करने के लिए संसाधनों का समूहन ।

5. समाज रक्षा और विकलांगता के विभिन्न क्षेत्रों में दोनों सरकारों के बीच अधिकारियों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को सरल बनाना ।

6. मानव संसाधन एवं कार्यक्रम विकास, पाठ्यचर्या एवं माड्यूल्स, प्रलेखन आदि पर संयुक्त कार्यशालाएं, सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित करना ।

7. दोनों सरकारों के बीच सर्वोत्तम रीतियों एवं डाटाबेस के पारस्परिक प्रयोग संबंधी सूचना एवं अनुभव का आदान-प्रदान करना ।

8. हस्तक्षेप आयोजना के लिए डाटा समर्थन सुनिश्चित करने हेतु समाज रक्षा एवं विकलांगता के क्षेत्र में सूचना का प्रलेखन करना ।

9. नीति विकास एवं आयोजना के लिए समझदारी की परिधि का विस्तार करने तथा प्रमाण आधारित सामग्री (इनपुट्स) प्रदान करने हेतु विकलांगता एवं समाज रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं चालू करना ।

10. समाज रक्षा और विकलांगता के क्षेत्र में सिविल सोसाइटी का नेटवर्क एवं मंच विकसित करना ।

कार्यक्षेत्र एवं कार्य प्रक्रिया

प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए द्वियोजन व्यवस्था संबंधी कार्य प्रक्रिया इस प्रकार होगी:-

1. दोनों सरकारों में इस विषय को देखने वाले अधिकारी, आवधिक रूप से बैठक करेंगे और द्वियोजन व्यवस्था के कार्यकरण पर विचार-विमर्श करेंगे तथा सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे ।

2. मॉरीशस के समाज रक्षा/सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के जमीनी परिदृश्य को महसूस करने के लिए मारीसस में आवश्यक निर्धारण कार्यशाला/कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी; ताकि

   (क) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, इस क्षेत्र में मॉरीशस की आवश्यकताओं से संबंधित एक योजना बना सके और इसके कार्यान्वयन में सहायता कर सके; तथा

   (ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारण करने और ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकताओं से संबंधित कार्य योजना तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने हेतु विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थानों को सुकर बनाया जा सके ।

3. दोनों सरकारों के समाज रक्षा और विकलांगता क्षेत्र के अधिकारी और विशेषज्ञ मानव संसाधन विकास, क्षमता सृजन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन, परामर्श, नेटवर्किंग और अन्य आयामों के संयुक्त क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए आवधिक चर्चा करेंगे ।

4. दोनों सरकारें मानव संसाधन विकास हेतु परस्पर सम्मत अवधि हेतु संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों को उत्तरवर्ती बैठकों के लिए सहायता करेंगे ।

5. विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के लिए राष्ट्रीय संस्थान विशेषतः राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान और विकलांग जन संस्थान, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास, प्रशिक्षण और इनकी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकर्त्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाएंगे और इन्हें आयोजित करेंगे ।

6. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण, कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहे बच्चों और नशीले पदार्थ दुरूपयोग निवारण से संबंधित क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएंगे और आयोजित करेंगे ताकि इनकी सक्षमता में वृद्धि हो और इनकी योग्यता का उन्नयन हो ।

7. दोनों सरकारें सूचना, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, सफल कहानियों, प्रकाशनों आदि के आदान-प्रदान से परस्पर अवगत रहने के लिए संपर्क बनाए रखेंगी । राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान इस संबंध में अपनी ओर से वृद्ध व्यक्तियों की देखरेख संबंधी राष्ट्रीय प्रयास जैसे कार्यक्रमों/पहलों को डिजाइन करने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर सकता है । यह निराश्रित बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में जी रहे बच्चों की देखभाल और सुरक्षा हेतु कार्यरत एन जी ओ/ सी बी ओ के लिए क्षमता सृजन के कार्यक्रम विकसित करने, नशीले पदार्थ और मद्यपान व्यसनी, नशीले पदार्थ (ड्रग्स) दुरूपयोग मानीटरिंग सिस्टम (डी ए एम एस), ड्रग्स की मांग में कमी हेतु न्यूनतम मानक और वृद्धावस्था देखभाल कार्यक्रमों में सहायता कर रहे सेवा प्रदायकों की नेटवर्किंग क्षेत्रों में भी है ।

8. दोनों सरकारें समाज रक्षा और विकलांगता के क्षेत्रों में उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक सहमति वाले विषयों के बारे में संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करेंगी ।

मीरा कुमार

वित्तीय तथा अन्य व्यवस्थाएं

दोनों सरकारों द्वारा अभिनिर्धारित कार्यकलापों के लिए वित्त-पोषण और संभार तंत्र व्यवस्थाओं का समुचित रूप से परस्पर विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान किया जाएगा ।

प्रचालन तिथियां

1 जुलाई, 2003 को हस्ताक्षरित पूर्ववर्ती समझौता ज्ञापन जो आरम्भ में 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावित था और उस अवधि के समाप्त होने पर, उक्त ज्ञापन को उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के संगत उपबंधों के अनुसरण में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि से अगले 3 वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया जा रहा है । यदि दोनों देश इसकी शर्तों पर परस्पर सहमत हों, तो समझौता ज्ञापन आगे भी नवीकरणीय होगा, जब तक दोनों में से कोई एक पक्ष समझौता ज्ञापन की अवधि की समाप्ति से कम से कम 3 माह पहले ऐसे विचार से संबंधित कोई पूर्व नोटिस नहीं देता ।

हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में मूलरूप से **पोर्ट लूई, मॉरीशस** में **3 नवम्बर, 2007** को हस्ताक्षर किए गए । दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणित हैं। किसी प्रकार की विभिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

माननीय श्रीमती शीलाभाई बापू मॉरीशस गणतंत्र के समाज सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण तथा सुधार संस्थान मंत्री	माननीय श्रीमती मीरा कुमार, भारत गणतंत्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री